N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE AND ANTI- **P.S. (थाना):** BILASPUR **Year (वर्ष):** 2020

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/11/2020 17:07 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	IPC 1860	477-A
7	IPC 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day (दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/11/2020 **Time (समय):** 16:00 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date & Time (दिनांक और समय):** 03/11/2020 16:34 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) **Address (पता):** Paplah,Ghumarwin

      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
      Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** Pyar Singh

   (b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1951 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**

   Place of Issue (जारी करने का स्थान):

   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Samlohal,Ghumarwin,BILASPUR,STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB),HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Present Address	Samlohal,Ghumarwin,GHUMARWIN,BILASPUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	Permanent Address	Samlohal,Ghumarwin,GHUMARWIN,BILASPUR,HIMACHAL PRADESH,INDIA

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9459255206

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Sunil Kumar			1. Paplah,Ghumarwin,GHUMARWIN, BILASPUR,HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Dev Raj Dogra			1. Jol,Ghumarwin,BHARARI,BILASPUR, HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	Shaadi Lal			1. Talai,Jhandutta,TALAI,BILASPUR, HIMACHAL PRADESH,INDIA
4	Reeta Devi			1. Paplah,Ghumarwin,GHUMARWIN, BILASPUR,HIMACHAL PRADESH, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

इस समय दर्ज है कि एक शिकायत पत्र संख्या 69026 में Self contained Complaint स्वीकृती हेतु मुख्य कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, शिमला भेजी गई थी। जो मुताविक पत्र संख्या SV ACB (R-CR-HQ) Comp.-69026/2020(BLS)- 18419 Dated 03-11-2020 कार्यालय ADGP SVACB Shimla से SP SVACB C.R. Mandi के पृष्ठाकन संख्या 7130 Dated 03-11-2020 के मुताविक प्राथमिकी दर्ज करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसका विवरण इस तरह से है:- यह शिकायत पत्र मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के तहत थाना में प्राप्त हुआ था जिसकी प्रारम्भिक जाँच उ.नि. द्वारा की गई । प्रारम्भिक जाँच के बाद नियमित जांच की संस्तुति की गई जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से नियमित जाँच के आदेश प्राप्त हुए। 2. जाँच के दौरान पाया गया कि शशी कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह को वर्ष 1998 में दि. करलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित पपलाह का सचिव नियुक्त किया गया था। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद सभा का वर्ष 2016-17 व 2017-18 का अंकेक्षण इकट्ठा ही सेवानिवृत जिला अंकेक्षक श्री देवराज डोगरा द्वारा किया गया तो पाया कि मृतक शशी कुमार ने लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया है। जाँच पर पाया गया कि शशी कुमार ने बिभिन्न वर्षों के अंकेक्षण के दौरान दी गई सूची में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा गुग्गा मोहड़ा की कुल 18 FDRs फर्जी तौर पर बनाना दर्शाई है जिनका बिभिन्न तिथियों में सहकारी सभा की कैश बुक में भी इन्द्राज किया गया है। जो इनमे पहली फर्जी FDR दिनाँक 25-05-2009 को 27 लाख रुपये की तथा अन्तिम जाली FDR दिनाँक 20-04-2015 को 75 लाख की बनाना पाई गई है तथा वर्ष 2016-17 में काफी FDRs की परिपक्वता दर्शाकर उन्हें Renew करके व उनका मूलधन वढ़ाकर इस तरह कुल 5,32,88,321/- रुपये का गबन किया है। सहकारी सभा में उपरोक्त FDR के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव डालना न पाया गया है और न ही कोई अभिलेख उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा गुग्गा मोहड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार ये FDRs बैंक में न बनाई गई हैं। 3. सचिव शशी कुमार द्वारा दिनाँक 17-07-16 को 70 लाख व दिनाँक 09-04-2017 को 40 लाख रुपये का दि.करलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित पपलाह की कैश बुक में अपने नाम Loan Against Deposit (एल.ए.डी.ऋण) दर्शाकर उपरोक्त राशियाँ अपनी पत्नि रीता देवी के सहकारी सभा के बचत खाता में जमा कर दी । शशी कुमार इतनी भारी राशि का ऋण लेने के लिये योग्य न था क्योंकि उसकी सहकारी सभा में इतनी ज्यादा राशि जमा न थी और न ही शशी कुमार ने इन ऋणों के लिये सहकारी सभा में कोई प्रक्रिया अपनाई । इस प्रकार शशी कुमार ने एक करोड़ 10 लाख रुपये की ऋण की राशि के गबन के साथ कुल 6,42,88,321/- रुपये की राशि का गबन किया है। शशी कुमार की मृत्यु के बाद हुए अंकेक्षण में गबन की राशि ब्याज को मिलाकर कुल 8,12,48,183/- रुपये वतलाई गई है। शशी कुमार की मृत्यु दिनाँक 13-08-2018 को हो चुकी है। 4. सहायक सचिव सुनील कुमार भी सभा के लेनदेन में मृतक सचिव शशी कुमार के साथ बराबर रुप से भागीदार व जिम्मेवार है। सहकारी सभा की कैश बुक कम्पयूटर सिस्टम से लिखना पाई गई है। जो सही ढ़ंग से नियमानुसार Maintain करनान पाई गई है । कैश बुक का रोजाना प्रिंट नहीं लिया गया है और न ही इस में इन्द्राज करने वाले या सचिव के हस्ताक्षर हैं। कैश बुक Manual व Offline है जिसमें कोई भी कभी छेड़खानी कर सकता है। हो सकता है कि शशी कुमार की मृत्यु के बाद भी किसी ने इसके साथ छेड़खानी की हो । जाँच पर पाया गया कि सभा के लेन देन के लिये सुनील कुमार ने अपने निजी खाते का प्रयोग किया है। इसके अलावा दिनाँक 31-03-2012 को दि. तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित तलाई तहसील झण्डूता जिला बिलासपुर से सचिव शशी कुमार व सह सचिव सुनील कुमार द्वारा 3 FDRs की परिवक्ता राशि कुल 51,11,904/- रुपये की नगद लाना पाई गई और सहकारी सभा की दिनाँक 31-03-2012 की कैश बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनके द्वारा इस उपरोक्त राशि का कैश बुक में मूलधन व ब्याज का अलग-अलग इन्द्राज करके उसी दिन हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा गुग्गा मोहड़ा में 3 FDRs कुल 60 लाख रुपये की बनाना सहकारी सभा की कैश बुक में दर्शाई है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा गुग्गा मोहड़ा में पता करने पर ये FDRs न बनाना पाई गई हैं। सहायक सचिव सुनील कुमार व इसकी पत्नि के खातों में किये गये लेन देन से सम्बन्धित काफी बाउचर भी गायब पाये गये हैं। 5. जाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण कर्ताओं धर्मपाल, देवराज डोगरा व शादी लाल ने सभा के अंकेक्षण के दौरान भारी लापरवाही वरती है । क्योंकि कैश बुक में प्राप्ति में राशि कम हो तो उससे अधिक राशि की FDR नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन कैश इन्हैन्ड कम होने के बावजूद भी लाखों रुपयों की झूठी FDRs बैंक में बनाई है जो इस कमी को अंकेक्षकों द्वारा नजरंदाज किया गया है, कैश बुक को ठीक ढ़ंग से चैक नहीं किया तथा इस कमी को उजागर नहीं किया । यदि अंकेक्षकों ने इस कमी को उजागर किया होता तो बाकी पैसों का मृत सचिव गबन नहीं कर सकता था। अंकेक्षकों ने मृतक शशी कुमार के साथ मिलीभगत करके, उसकी कमियों को उजागर न करके और बैंक में जाकर FDRs को चैक न करके उसे इतनी बड़ी राशि का गबन करने में सहयोग व मिलीभगत की है। उपरोक्त तीनों में से धर्मपाल की मृत्यु दिनाँक 24-11-2018 को हो चुकी है। 6. शशी कुमार की पत्नी रीता देवी के सहकारी सभा के खाते व कैश बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि उसके खाता में अलग-अलग तिथियों को बहुत बड़ी-बड़ी राशियाँ 75 लाख रुपये तक जमा होना पाई गई है तथा यह भी पाया गया कि इस खाता से सभा का भी काफी लेनदेन हुआ व रीता देवी ने ब्याज के रुप में भारी राशियाँ अर्जित की हैं। इस सारे गबन में व लेन देन में रीता देवी की संलिप्तता पाई जा रही है। जिस बारे प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ही सारे तथ्य सामने लाये जा सकते हैं। 7. जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 की कैश बुक का न तो प्रिंट लिया गया है और न ही वह कम्पयूटर में उपलब्ध है क्योंकि उस वर्ष की कैश बुक लैपटाप में Locked है । सह सचिव सुनील कुमार का कहना है कि यह फाईल खुल न रही है । शशी कुमार ने भी इसे बतलाया था कि यह फाईल किसी कारण से न खुल रही है। जो इस बारे प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गहन जाँच करने पर ही पता चल सकता है कि इस गबन में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। इस प्रकार सहायक सचिव सुनील कुमार, सेवानिवृत जिला अंकेक्षक देवराज डोगरा व शादी लाल तथा रीता देवी के खिलाफ जुर्म अधीन धारा 420,409,,467,468,471,477A read with section 120B IPC का घटित होना पाया जा रहा है। जिस पर अभियोग संख्या 05/2020 दिनाँक 03-11-2020 जुर्म जेर धारा 420,409,,467,468,471,477A read with section 120B IPC सहायक सचिव सुनील कुमार, सेवानिवृत जिला अंकेक्षक देवराज डोगरा व शादी लाल तथा रीता देवी के खिलाफ थाना हजा में पंजीकृत किया गया। मुकदमा के वारा उच्चाधिकारियों को वजरिया E-Mail द्वारा सूचित किया जा रहा है। अभियोग की पांच प्रतियां प्रिंटर द्वारा निकाल कर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। मिसल मुकदमा व्राये तफ्तीश खुद की

तैहवील में ली गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: Sanjay Kumar(Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)) / NA **or (या)**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): **Rank (पद):**
No.(सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sanjay Kumar
Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No.(सं.): NA

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद् 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Poxpitted: NO
2	Male					Poxpitted: NO
3	Male					Poxpitted: NO
4	Female					Poxpitted: NO

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)